

## न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/878

1. ओम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री जोधराज, जाति बैरवा, निवासी 24, टीली का खाना, किसान कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर दिनांक 02.12.2024 (आवेदन संख्या एल.सी/2024-25/197775) जिसके द्वारा अपीलार्थी के संपरिवर्तन आवेदन को निरस्त किया गया है।

उपस्थित—

1. श्री हिमांशु सोगानी वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक—05.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के आदेश क्रमांक एल.सी/2024-25/197775 दिनांक 02.12.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा-5 के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के समक्ष वाके ग्राम बाडोदिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 168 रकबा 0.61 है0 में से 2300 वर्गमीटर व खसरा नं. 1101/175 रकबा 0.76 है0 सम्पूर्ण 7600 वर्गमीटर के संपरिवर्तन करने बाबत् आवेदन करने पर आवेदन को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 02.12.2024 को दिये गये।
3. उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के उक्त आदेश दिनांक 02.12.2024 एवं 08.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर दिनांक 08.01.2025 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर

5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम बाडोदिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 168 रकबा 0.61 है० व खसरा नं. 1101/175 रकबा 0.76 है० भूमि का खातेदार काश्तकार है। अपीलार्थी ने अपनी भूमि 168 रकबा 0.61 है० में से 2300 वर्गमीटर व खसरा नं. 1101/175 रकबा 0.76 है० सम्पूर्ण 7600 वर्गमीटर के संपरिवर्तन करने बाबत् आवेदन करने पर आवेदन ऑनलाईन पद्धति से प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजात, शपथ पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये और स्पष्ट किया कि अपीलार्थी की भूमि हाईवे से 8 किलोमीटर की दूरी पर तथा किसी भी रेलवे लाईन से 12 किलोमीटर की भूमि पर स्थित है। अपीलार्थी की भूमि किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं आती। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह एक पेड़ के बदले में तीन पेड़ लगाने को तैयार है। चैकलिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजात संलग्न करने के साथ-साथ अपीलार्थी ने अग्रिम भुगतान राशि भी जमा करवा दी। अपीलार्थी ने अपने आवेदन स्पष्ट अंकित किया कि अपीलार्थी की भूमि पर पहुंच मार्ग हेतु ग्राम की मुख्य सड़क से होकर डामर व ग्रेवल रोड बनी हुई है तथा जिसके आगे की भूमि अपीलार्थी स्वयं द्वारा खसरा नम्बर 1100/175 में से समर्पित की गई है और गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है और खसरा नम्बर 1100/175 के रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1101/175 व 168 से पूर्ण रूप से जुड़ती हुई है। अपीलार्थी की भूमि कभी भी किसी नदी अथवा नाले के बहाव क्षेत्र के भाग की भूमि नहीं रही है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में अपनी भूमि के संपरिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये थे, जिस प्रथम आवेदन को रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने दिनांक 8-3-2022 को नदी के बहाव क्षेत्र एवं कैचमेंट ऐरिया से प्रभावित होना मानते हुये निरस्त कर दिया जबकि नदी के बहाव क्षेत्र अथवा कैचमेंट ऐरिया का अपीलार्थी की भूमि का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उक्त आवेदन के निरस्त किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी ने अन्य आवेदन बाबत् संपरिवर्तन प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलार्थी ने यह स्पष्ट किया कि संपरिवर्तित कराई जा रही भूमि का नदी के बहाव क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है एवं प्रार्थी स्वयं ने अपनी खातेदारी की भूमि राज्य सरकार को समर्पित कर 40 फीट चाड़ाई का रास्ता उपलब्ध करवा दिया गया है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में कायम हो चुका है, आम रास्ते पर पी. डब्ल्यू. डी विभाग द्वारा पक्की सड़क का निर्माण करवाया गया है व सड़क के दोनों तरफ की भूमि खाली पड़ी है जिसे भी रास्ते के रूप में ही प्रयोग में लिया जा रहा है। उक्त आवेदन को रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने आश्चर्यजनक रूप से पहुंच मार्ग स्थित नहीं होने का कारण अंकित करते हुये दिनांक 14-3-2024 को अस्वीकार कर दिया।

  
 निम्नोक्त वायुक्त  
 जयपुर

अपीलार्थी द्वारा उक्त आपत्तियों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुये ही हाल आवेदन दिनांक 29-8-2024 को रेस्पोंडेंट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को बिना किसी संतोषजनक कारण अंकित करते हुये जल संसाधन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दिनांक 02.12.2024 को निरस्त फरमा दिया गया। अपीलार्थी के आवेदन को निरस्त किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही आवेदन के निरस्त किये जाने के संबंध में कोई सूचना ऑन लाईन अपडेट की गई। जल संसाधन विभाग की किसी अनापत्ति का प्रार्थी के सम्परितर्न के आवेदन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। किसी विभाग की अनापत्ति लाना अपीलार्थी का कर्तव्य नहीं था और अधीनस्थ न्यायालय ही विभाग से अपने स्तर पर उनका सुझाव, आपत्ति अथवा अनापत्ति मंगवाकर प्रार्थी के संपरिवर्तन आवेदन पर अपना निर्णय लेते परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण दायित्व अपीलार्थी पर रखकर प्रार्थी के आवेदन को केवल मात्र जल संसाधन विभाग की अनापत्ति नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है जो पूर्णतः विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी की भूमि कभी भी किसी नदी अथवा नाले के बहाव क्षेत्र के भाग की भूमि नहीं रही है। अपीलार्थी द्वारा संपरिवर्तित कराई जाने वाली भूमि से दूर नदी का बहाव क्षेत्र स्थित है। प्रार्थी के आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा कोई कमी नहीं रही ना ही प्रार्थी की भूमि किसी प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को संस्थानिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा जल संसाधन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी के आवेदन को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज की जावे।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांत के कथनानुसार अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांत द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा ग्राम बाडोदिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 168 रकबा 0.61 है० में से 2300 वर्गमीटर व खसरा नं. 1101/175 रकबा 0.76 है० सम्पूर्ण 7600 वर्गमीटर के संपरिवर्तन करने बाबत आवेदन प्राप्त होने पर जल संसाधन विभाग की अनापत्ति पेश नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 02.12.2024 को दिये गये। प्रार्थी द्वारा कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड जयपुर के प्रश्नगत आराजी की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2025 प्रस्तुत की है। उक्त के संबंध में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

**अतः आदेश है कि:** अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश क्रमांक एल.सी/2024-25/197775 दिनांक 02.12.2024 एवं 08.01.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2025 का अवलोकन करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करें।



(पूनम)

संभागीय आयुक्त,  
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



संभागीय आयुक्त,  
जयपुर